न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

(0 सांगानेर)

फर्द हुक्म :

गोपाल शर्मा वगैरा बनाम सुनील चौधरी

206/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
[illegible]/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। प्रतिवादी कि ओर से जवाब दावा पेश नहीं। न्यायहित में 1 और मौका अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 25/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
25/4/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य [illegible] में व्यस्त है। अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 9/5/25 को पेश।	
9/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश नहीं। प्रतिवादीगण के जवाब दावे का अवसर बन्द किया जाता है। पत्रावली वादी बहस हेतु दिनांक 12/06/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
[illegible]/6/25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वकील प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी की बहस सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद निर्णय पृथक से लिखाया जाकर पृथक में सुनाया गया। पत्रावली दर्ज नम्बर होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

[illegible], जयपुर

...मण, हाल निवासी
..., निवासी मकान
राजस्थान।
...ण, हाल निवासी
वादीगण
...गर, विधानसभा
प्रतिवादी
...म 1955
...नियतम 1955
...स्य है। वादी
...नकी संयुक्त
...रकबा 0.38
...ख़सरा नम्बर
...कबा 0.12
...सरा नम्बर
...वार हल्का
...स्थित है।
...II—2 का
...अभिलेखों
...दारी व
...अनुसार
...नाफिया
... करने
...रने के
...र्य है।
...किसी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 206/2024
निर्णय दिनांक : 12.06.2025

उनवान

1. गोपाल शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री छोटी लाल शर्मा उम्र 46 वर्ष जाति बागडा ब्राहम्ण, हाल निवासी मकान नम्बर सी–224, हरि मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान ।
2. श्रीमति प्रेमदेवी पत्नि स्वर्गीय श्री छोटी लाल शर्मा उम्र 76 वर्ष जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी मकान नम्बर 3836, नाईयो की गली, कुन्दिगर भैरुजी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर, राजस्थान।
3. रामेस्वर लाल शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री छोटी लाल शर्मा उम्र 54 वर्ष जाति बागडा ब्राहम्ण, हाल निवासी मकान नम्बर 6, मीना कॉलोनी, कैलाशपुरी, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. सुनील चौधरी पुत्र श्री अमीलाल चौधरी हाल निवासी मकान नम्बर 23–क–8, ज्योती नगर, विधानसभा के पास, जयपुर राजस्थान।

प्रतिवादी

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियतम 1955

निर्णय

वादी ने दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियतम 1955 का पेश किया है जिसका सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी संख्या 1 व 3 सगे भाई तथा वादी संख्या 2, वादी संख्या 1 व 3 की माताजी है। जिनकी संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि हाल खाता संख्या नया 93 के खसरा नम्बर 152 रकबा 0.38 हैक्लेयर, खसरा नम्बर 353 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 360 रकवा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 364 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल खसरा किता 9 कुल रकबा 160 हैक्टेयर ग्राम आशावाला पटवार हल्का श्रीरामकी नांगल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात् में वादी संख्या–1 का अविभाजित हिस्सा 5/12, वादी संख्या–2 का अविभाजित हिस्सा 1/6 एवं वादी संख्या–3 का अविभाजित हिस्सा 5/12 वर्तमान भू–राजस्व अभिलेखो जमाबन्दी में दर्ज है। वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात वादीगण की सयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भुमि है। जिस पर वादीगण सयुक्त रूप से अपने–अपने दर्ज हिस्से अनुसार काविज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादी एक आपराधिक प्रवृति का भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है, प्रतिवादी उक्त वर्णित आराजीयात् से वादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा करने की फिराक में निरन्तर प्रयासरत है तथा वादीगण उक्त वर्णित आराजीयात् से दूर निवास करने के कारण प्रतिवादी के द्वारा किये जा रहे कुत्सित प्रयासो का निरन्तर मुकाबला करने में असमर्थ है। दिनांक 11.07.2024 को समय सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास वादी संख्या 3 के मोबाईल पर किसी

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

हि।

व्यक्ति ने सूचना दी कि तुम्हारी उक्त वर्णित आराजीयात् पर जबरन कब्जा करने की नियत से तारबन्दी को काटकर अन्दर प्रवेश करने के लिए 10–15 आदमी आ रहे है. जिस पर वादी संख्या 3 का पुत्र मौके पर पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर प्रतिवादी व उसके साथ एक अन्य व्यक्ति जिसने अपना नाम धर्मवीर तथा उनके साथ 10–15 आदमी पावडी व कुल्हाडी लेकर खडे थे तथा इन्होने उक्त आरजीयात् के लगवा खसरा नम्बर 365 में से अनाधिकृत प्रवेश कर वादीगण के आराजी खसरा नम्बर 364 पर हो रही तारबन्दी को काटकर उक्त आराजीयात पर बोई हुई ग्वार की फसल को तहस नहस कर वादीगण की उक्त वर्णित आराजीयात् पर अवैध कब्जा करने के आशय से वादीगण द्वारा अपनी उक्त आराजी पर करवाई गई तारबन्दी को प्रतिवादी व उसके साथ आये आदमियो ने काट कर अवैध प्रवेश कर लिया। वादी संख्या 3 के पुत्र ने इन सभी लोगो को जमीन से बाहर जाने के लिए कहा तो प्रतिवादी व उसके साथ आये व्यक्तियो ने उसके साथ धक्का–मुक्की की तथा प्रतिवादी ने धमकी दी वह ऐन–केन–प्रकारेण वादीगण की उक्त वर्णित आराजीयात् पर जबरन कब्जा करने के लिए ही मजदूर लेकर आया है तथा कब्जा करके रहेगा। जिस पर वादी संख्या 3 के पुत्र ने पुलिस कन्ट्रोल रूम के 100 नम्बर पर फोन किया लेकिन कोई सहायता नहीं आई। प्रतिवादी व उसके साथ आये लोगो को पुलिस आने का अहसास होने पर तत्समय तो ये सभी लोममौके से भाग गये लेकिन प्रतिवादी ने धमकी दी है कि वह कभी भी मौका पाकर उक्त आराजी को स्वयं के कब्जे में ले लेगा। उक्त घटना के बाद वादी संख्या 3 के पुत्र नरेश शर्मा ने दिनांक 11.07.2024 को ही पुलिस थाना सांगॉनेर सदर, जयपुर दक्षिण में एक लिखित शिकायत प्रस्तुत कर वादीगण के उक्त वर्णित आराजीयात् व जान–माल की रक्षा करने व प्रतिवादी व उसके साथियो द्वारा किये गये उक्त आपराधिक कृत्य के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की, जिस पर पुलिस थाना सांगॉनेर सदर द्वारा प्रतिवादी व अन्य के विरूद्ध एक शिकायत दर्ज कर जॉच की जा रही है। प्रतिवादी एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है तथा जिसका काम लोगो को परेशान कर जबरन जमीनों पर कब्जा करना रहा है। जिसके सम्बन्ध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी के विरूद्ध विभिन्न थानो में इस प्रकार के कई मामले दर्ज है। प्रतिवादी व उसके साथियो के द्वारा जबरन कब्जा करने के सम्बन्ध में अपनाई जा रही आपराधिक गतिविधियो का वादीगण बिना माननीय न्यायालय की मदद के मुकाबला करने में असमर्थ है। वादीगण की उक्त वर्णित आराजीयात् के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में अवबाधा कारित करने व वादीगण को जबरन बेकब्जा करने का प्रतिवादी या अन्य को कोई अधिकार नही है। उक्त वर्णित घटनाक्रम के उपरान्त वादीगण को गम्भीर आशंका है कि प्रतिवादी व उसके साथी कभी भी वादीगण को उक्त वर्णित कृषि आराजीयात् से जबरन बेदखल कर सकते है या वादीगण के उक्त वर्णित आराजीयात् के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा कारित कर वादीगण को परेशान कर सकते है। इस कारण वादीगण को प्रतिवादी या अन्य दीगर व्यक्ति को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय से पाबन्द करवाने के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक उपचार शेष नही रहा है। वादीगण अधिकारी है कि प्रतिवादी को माननीय न्यायालय से इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि प्रतिवादी या उसका कोई एजेन्ट, सर्वेन्ट, नौकर, प्रतिनिधि, कर्मचारी या अन्य दीगर व्यक्ति वादपत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात् के किसी भी हिस्से में जबरन प्रवेश नही करें, उक्त वर्णित आराजीयात् पर हो रही तारबन्दी व फसल को क्षतिग्रस्त या नुकसान कारित करने का प्रयास नही करें, उक्त वर्णित आराजीयात् के उपयोग–उपभोग

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

में वादीगण को किसी प्रकार की अवबाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, नौकर, प्रतिनिधि, कर्मचारी से करवाये तथा वादीगण को उक्त वर्णित आराजीयात् का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे। दिनांक 11.07.2024 को उत्पन्न उक्त घटनाक्रम व प्रतिवादी द्वारा दी गई धमकी से यह वाद बावत् स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने का वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। विवादग्रस्त सम्पत्ति माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित होने व वादीगण द्वारा वांछित अनुतोष माननीय न्यायालय द्वारा ही प्रदान किये जाने योग्य होने के कारण प्रस्तुत वाद पत्र को सुनकर निर्णित करने की क्षेत्राधिकारिता माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

अतः वादीगण का वाद बावत् स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादी या उसका कोई एजेन्ट, सर्वेन्ट, नौकर, प्रतिनिधि, कर्मचारी या अन्य दीगर व्यक्ति वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजीयात् हाल खाता संख्या नया 93 के खसरा नम्बर 152 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 353 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 360 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 364 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल खसरा किता 9 कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर स्थित ग्राम आशवाला, पटवार हल्का श्रीरामकी नांगल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के किसी भी हिस्से में जबरन प्रवेश नहीं करें, उक्त वर्णित आराजीयात् पर हो रही तारबन्दी व फसल को क्षतिग्रस्त या नुकसान कारित करने का प्रयास नही करें, उक्त वर्णित आराजीयात् के उपयोग–उपभोग में वादीगण को किसी प्रकार की अवबाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, नौकर, प्रतिनिधि, कर्मचारी से करवाये तथा वादीगण को उक्त वर्णित आराजीयात् का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने में कोई अनुचित हस्तक्षेप ना तो वह स्वय करे ना ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति, संस्था, कम्पनी से करवावे।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वकील वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित। पत्रावली में दिनांक 21.08.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी पेश कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वाद को मय हर्जे खर्चे को खारिज फरमाने का निवेदन किया। दिनांक 06.12.2024 को वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे। दिनांक 14.02.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी खारिज किये जाने के आदेश दिये गये व पत्रावली जवाब दावे हेतु नियत कि गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा पेश नही। दिनांक 09.05.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब दावे का अवसर बन्द किये जाने के आदेश दिये गये तथा पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावली में बहस अधिवक्ता वादी सूनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वादीगण का वाद बावत् स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

किया जाकर प्रतिवादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादी या उसका कोई एजेन्ट, सर्वेन्ट, नौकर, प्रतिनिधि, कर्मचारी या अन्य दीगर व्यक्ति वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजीयात् हाल खाता संख्या नया 93 के खसरा नम्बर 152 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 353 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 360 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 364 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल खसरा किता 9 कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर स्थित ग्राम आशवाला, पटवार हल्का श्रीरामकी नांगल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के किसी भी हिस्से में जबरन प्रवेश नहीं करें, उक्त वर्णित आराजीयात् पर हो रही तारबन्दी व फसल को क्षतिग्रस्त या नुकसान कारित करने का प्रयास नही करें, उक्त वर्णित आराजीयात् के उपयोग–उपभोग में वादीगण को किसी प्रकार की अववाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, नौकर, प्रतिनिधि, कर्मचारी से करवाये तथा वादीगण को उक्त वर्णित आराजीयात् का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने में कोई अनुचित हस्तक्षेप ना तो वह स्वय करे ना ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति, संस्था, कम्पनी से करवावे।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन करने व वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुचे है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि वाके ग्राम आशावाला पटवार हल्का श्रीरामकी नांगल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या नया 93 के खसरा नम्बर 152 रकबा 0.38 हैक्लेयर, खसरा नम्बर 353 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 360 रकवा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 364 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल खसरा किता 9 कुल रकबा 160 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। जिस पर वादीगण सयुक्त रूप से अपने–अपने दर्ज हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादी एक आपराधिक प्रवृति का भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है. प्रतिवादी उक्त वर्णित आराजीयात् से वादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा करने की फिराक में निरन्तर प्रयासरत है प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आरजीयात् के लगवा खसरा नम्बर 365 में से अनाधिकृत प्रवेश कर वादीगण के आराजी खसरा नम्बर 364 पर हो रही तारबन्दी को काटकर उक्त आराजीयात पर बोई हुई ग्वार की फसल को तहस नहस कर दिया व तारबन्दी को काट कर अवैध प्रवेश कर लिया। वादीगण की उक्त वर्णित आराजीयात् के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में अववाधा कारित करने व वादीगण को जबरन बेकब्जा करने का प्रतिवादी या अन्य को कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के वाद का कोई प्रतिउत्तर /जवाब पेश नही किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में किसी प्रकार का कोई हिस्सा नही है तथा उक्त आराजी में सरोकार नही और ना ही प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी पर कब्जा है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा किया जाता है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि वाके ग्राम आशावाला पटवार हल्का श्रीरामकी नांगल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या नया 93 के खसरा नम्बर 152 रकबा 0.38 हैक्लेयर, खसरा नम्वर 353 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 360 रकवा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्वर 361 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 363 रकवा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 364 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल खसरा किता 9 कुल रकबा 160 हैक्टेयर के किसी भी हिस्से में जबरन प्रवेश नहीं करें, उक्त वर्णित आराजीयात् पर हो रही तारबन्दी व फसल को क्षतिग्रस्त या नुकसान कारित करने का प्रयास नही करें, उक्त वर्णित आराजीयात् के उपयोग–उपभोग में वादीगण को किसी प्रकार की अववाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, नौकर, प्रतिनिधि, कर्मचारी से करवाये तथा वादीगण को उक्त वर्णित आराजीयात् का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने में कोई अनुचित हस्तक्षेप ना तो वह स्वय करे ना ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति, संस्था, कम्पनी से करवावे। उक्त आराजीयात में मौके की यथास्थिति बनाए रखें निर्णय के मुताबिक डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर